प्रस्ताव संख्या 02 को संशोधित किया गया।

(44)

(79)

।। ओ3म् ।।

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार 249404

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय।

Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar-249404

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.07.2022 की कार्यवाही

दिनांक : 30.07.2022, शनिवार
समय : प्रातः 10.00 बजे
स्थान : कुलपति कार्यालय

उपस्थिति :–

1. डा0 रूपकिशोर शास्त्री, कुलपति / सभापति
2. श्री विनय आर्य, प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि / सदस्य
3. श्री मोहम्मद रिजवान, शिक्षा मत्रालय के नामित प्रतिनिधि द्वारा नामित सदस्य
4. श्री प्रेम भारद्वाज, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित प्रतिनिधि / सदस्य
5. श्री कीर्ति शर्मा, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधि / सदस्य
6. डा0 सुनील कुमार, कुलसचिव / विशेष आमन्त्रित सदस्य
7. प्रो0 वी0के0सिंह, वित्ताधिकारी / सचिव वित्त समिति

ईश वन्दना के उपरान्त सभापति महोदय की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

प्रस्ताव संख्या–01 : गत बैठक दिनांक 30.11.2021 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 30.11.2021 की कार्यवाही यथासमय सभी समस्त सदस्यों को प्रेषित कर दी गई थी जिस पर वित्त समिति के सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। अतः सभी सदस्यों द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या–2 : गत बैठक दिनांक 30.11.2021 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन।

वित्त समिति के संयोजक / वित्ताधिकारी ने अवगत कराया कि वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 30.11.2021 में प्रस्ताव संख्या– 01से 09 तथा 13 तक का कियान्वयन पूरा कर दिया गया है। प्रस्ताव संख्या–10, 11 एवं 12 के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य जी ने आपत्ति की है कि कुलसचिव जी के आवास पर हुए व्यय को स्वीकार नही किया गया है तथा प्रस्ताव संख्या 10,11 एवं 12 के विषयों को विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नही ले जाया गया है। अतः कियान्वयन में यह अंकित किया जाना चाहिये कि इन प्रस्तावों को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में स्वीकृत किया जाना शेष है, तथा इन विषयों को विश्वविद्यालय की आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय ले लिया जाये।

प्रस्ताव संख्या–3 : लेखा पुस्तकों के वित्तीय वर्ष 2020–2021 के आडिट के सम्बन्ध में।

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ के शाखा कार्यालय इलाहाबाद की आडिट टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 का आडिट दिनांक 13.12.2021 से 31.12.2021 तक लेखा परीक्षा का कार्य पूर्ण किया गया है। इस सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट संलग्न है। आडिट द्वारा दिया गया सम्बन्धित आकलन निम्न प्रकार है :–

1- We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose our audit.

2- In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the vishwavidyalaya as required under Rule 46(2) of the memorandum of association, 2012 of the Gurukula Kangri Sam Vishwavidyalaya, in so far as it appears from our examination of such books.

वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा आडिट रिपोर्ट का आकलन किया गया तथा श्री विनय आर्य जी ने कहा कि आडिट टीम द्वारा क्या–क्या आपत्तियां की गई है इसका आकलन किया जाना चाहिये। सर्वप्रथम श्री कीर्ति शर्मा जी ने कहा कि विश्वविद्यालय में इन्टरनल आडिट नही किया जा रहा है जो कि अति आवश्यक है तथा श्री विनय आर्य जी ने कहा कि आडिट टीम द्वारा खाली पदों को न भरे जाने के सम्बन्ध में भी आपत्ति की गई है। इस सन्दर्भ में मान्य कुलपति/सभापति महोदय ने अवगत कराया कि खाली पदों को भरने हेतु अभी हाल ही में साक्षात्कार कराये जा रहे है। श्री कीर्ति शर्मा जी ने कहा कि आडिट टीम द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि वित्त समित एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठके नियमित समय पर नही हो रही है। इस सम्बन्ध में कुलसचिव महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में ध्यान रखा जायेगा कि नियमित समय पर ही बैठकें बुलाई जायेगी। शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि एक स्टेन्डिंग आडिट कमेटी बनाकर यह देखा जाये कि अन्य डीम्ड विश्वविद्यालय में इसके क्या नियम है। श्री विनय आर्य जी एवं श्री कीर्ति शर्मा जी ने सुझाव दिया कि आडिट टीम द्वारा की गई आपत्तियों के निस्तारण हेतु एक कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक है, अतः तय किया गया कि श्री विनय आर्य, श्री कीर्ति शर्मा एवं प्रो0 वी.के. सिंह इस कमेटी में होंगें। अतः सर्वसम्मति से आडिट रिपोर्ट को स्वीकार किया गया तथा प्रस्ताव का अंकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या–4 : वित्तीय वर्ष 2021–2022 के अन्तिम लेखों की स्वीकृति हेतु।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के अन्तिम लेखों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये प्रारूप में बना दिया गया है, जिसको स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में अन्तिम लेखों को गत वित्तीय वर्षो के विवरण के अनुसार निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	मद	2021–2022	2020–2021
Income. 1.	Academic Receipts	4,06,15,474.00	3,67,20,423.00
2.	Grants/Subsidies	55,51,37,448.00	51,76,86,676.00
3.	Interest Earned	62,08,092.00	23,76,338.00
4.	Other Income	9,31,49,761.00	75,36,007.00
	Total (A)	**69,51,10,776.00**	**56,43,19,444.00**

Expen. 1.	Staff Payment & Benefits	55,51,37,448.00	51,45,93,365.00
2.	Academic Exp.	33,81,328.00	71,12,087.00
3.	Administrative & General Exp.	2,73,31,403.00	2,43,28,056.00
4.	Transportation Exp.	9,97,158.00	2,58,868.00
5.	Repair & maintenance	1,37,34,304.00	73,35,076.00
6.	Finance Cost	7,354.00	7,183.00
7	Prior Period Expenses	4,81,625.00	-
	Total (B)	**60,10,70,620.00**	**55,36,34,635.00**
	Balance Being Surplus/(Deficit) Carried to Capital Fund	**9,40,40,156.00**	**1,06,84,810.00**

वित्त समिति के सदस्य श्री कीर्ति शर्मा जी ने सभी मदों में अंकित राशि के विवरण को पूछा तथा वित्ताधिकारी महोदय ने सभी मदों में अंकित राशि के विवरण को विस्तार से बताया। सभी सदस्यों के द्वारा उक्त अन्तिम लेखों का आकलन किया गया। चर्चा के दौरान स्वीकार किया गया कि आय व व्यय दोनो को ही Accrual Based Accounting के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिये। अतएव उक्त प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में स्वीकार किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–05 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वित्तीय वर्ष 2022–2023 का आनुमानिक बजट आकलन अंकन हेतु प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2022–2023 का आनुमानिक बजट आकलन भेजे जाने हेतु बनाया गया है, जिसके अनुसार वेतन, पेंशन एवं रिटायरमेंट बेनिफिट हेतु कुल बजट आकलन में रू 66.70 करोड की मांग की गई है जबकि नॉन–सैलरी मदों में रू 11.34 करोड की मांग अंकित की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से गत वित्तीय वर्ष में नॉन–सैलरी मद में कोई भी धनराशि प्राप्त नही हुई है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आन्तरिक प्राप्तियों को नॉन–सैलरी मद में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कुल आन्तरिक प्राप्तियां रू 4.65 करोड होने की सम्भावना है जिसे नॉन–सैलरी मद में व्यय किया जा सकता है।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत बनाया गया संशोधित बजट :– (राशि लाख में)

S.No.	Name of the Head	Budget 2022-2023
01	Salary	5373.00
02	Pension	1297.00
03	Non-Salary	1134.00
	Total	7804.00

अतः इस प्रस्ताव की संस्तुति की गई तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को आनुमानिक बजट भेजे जाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में ले जाये जाने के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या–06 : विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित विभागों के वित्तीय वर्ष 2022–2023 का आनुमानिक बजट आकलन अंकन हेतु प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित वर्ग में वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कुल आन्तरिक प्राप्तियां रू 1606.00 लाख होने की सम्भावना है, अतः इस आधार पर आनुमानिक बजट भी आय रू 1606.00 लाख के आधार पर बनाया गया है। जिसका विवरण निम्नांकित है।

(राशि लाख में)

S.No.	Total Income	Name of the Head	Budget 2022-2023
01	1606.00	Salary	1101.00
02		Non-Salary	164.26
03		Administrative Budget	340.74
	Total		1606.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य जी ने कहा कि स्व–वित्त पोषित वर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट हेतु क्या प्रावधान किया गया है यह स्पष्ट नही हो रहा है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रशासनिक मद से यह प्रावधान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय ई--समर्थ नामक साफ्टवेयर से फीस लेने से सम्बन्धित कार्य करें तो उचित होगा। श्री विनय आर्य जी ने कहा कि गत वर्ष की बैलेंस सीट में कुल आय रू 1626.00 लाख दर्शायी गई है अतः बजट को उसी आधार पर बनाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि संशोधित बजट बनाने पर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये। मान्य कुलपति

जी ने कहा कि स्व–वित्त पोषित वर्ग में सभी आवश्यक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पृथक से एक बैठक की जानी चाहिये। श्री विनय आर्य जी ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया कि स्व–वित्त पोषित वर्ग के कार्यो को सुचारू रूप से किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। अतः तय किया गया कि प्रस्ताव संख्या–03 के अनुसार गठित समिति भी इस कार्य को करेगी। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की और कहा कि स्व–वित्त पोषित वर्ग में आय को बढाये जाने के लिये प्रयत्न किया जाना आवश्यक है।
अतः उक्तानुसार बजट को संशोधित बजट बनाये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव संख्या–07 : विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन मध्ये मंहगाई भत्ते को दिये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा–नियमावली 2020 बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस गठित समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की दर वित्त समिति द्वारा निर्धारित की जाये। ताकि प्रबन्ध मण्डल की बैठक में वित्त समिति द्वारा मंहगाई भत्तों की निर्धारित दरों को स्वीकृत किया जा सके। इस सम्बन्ध में सूच्य है कि स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में मंहगाई भत्ता 17 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है, जबकि अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में मंहगाई भत्ता माह जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। अतः स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें तय किया गया कि मंहगाई भत्ते की दर को 4 प्रतिशत बढाकर 21 प्रतिशत कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की तथा प्रस्ताव पारित किया गया कि इस विषय को भी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जाये।

प्रस्ताव संख्या–08 : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संकायों एवं परिसरों में बजट आवंटन की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय को अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आन्तरिक प्राप्तियों में से आनुमानिक रूप से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संकायों तथा परिसरों के अन्तर्गत रू 464.81 लाख का बजट आवंटन किया गया है। जिसे वित्त समिति के सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति से स्वीकार किया।

प्रस्ताव संख्या–09 : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागाध्यक्षों, संकायाध्यक्षों एवं कोर्डिनेटर को वित्तीय शक्तियों प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संकायो तथा परिसरों को प्रस्ताव संख्या–08 के अनुसार बजट का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन विभागाध्यक्षों, संकायाध्यक्षों एवं कोर्डिनेटरों को वित्तीय शक्तियां प्रदान नही की गई है। अतः वित्त समिति ने प्रस्तावित किया कि न्युनतम रू 5000/– तक की वित्तीय शक्तियां विभागाध्यक्ष को तथा रू 7000/– तक की वित्तीय शक्तियां संकायाध्यक्ष एवं कोर्डिनेटर को

प्रदान कर दी जायें ताकि समयानुसार विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष एवं कोर्डिनेटर बिना स्वीकृति के आवश्यक सामान अपने निर्धारित बजट के अन्तर्गत क्रय कर सके। प्रस्ताव वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–10 : विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को धुलाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्व में नियमानुसार वर्दी धुलाई भत्ता रू 5000/– प्रति वर्ष जुलाई माह के वेतन में दिया जाता रहा है। स्व–वित्त पोषित विभागों हेतु बनाई गई सेवा नियमावली 2020 में वर्दी एवं धुलाई भत्ते को दिये जाने अथवा नही दिये जाने का कोई उल्लेख नही है। यह नियमावली प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 मे स्वीकृत की गई थी। अभी तक यह भत्ता वित्तीय स्थिति विषम होने के कारण नही दिया गया है। अतः वर्दी धुलाई भत्ते को दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें तय किया गया कि स्व–वित्त पोषित विभागों हेतु बनाई गई सेवा नियमावली 2020 में यदि इसका ध्यान नही रखा गया है तो इस प्रकार के अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस नियमावली में सुधार कर लिया जाये। इस सेवा नियमावली के अन्तर्गत सुधार करते हुए पुनः प्रबन्ध मण्डल मे इस सेवा नियमावली को स्वीकृत करा लिया जाये।

प्रस्ताव संख्या–11 : विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2018–2019 की बैलेंस सीट के अनुसार छात्रों को भुगतान किये जाने वाली पुस्तकालय/प्रयोगशाला एवं छात्रावास सुरक्षा राशि को (गत 3 वर्ष से पूर्व की राशि को) विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों में व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2018–2019 की बैलेंस सीट के अनुसार छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकालय सुरक्षा रू 1,19,27,737.00 तथा प्रयोगशाला सुरक्षा धनराशि रू 81,54,180.00 एवं छात्रावास सुरक्षा धनराशि रू 43,52,907 की धनराशि शेष है। अतः कुल राशि रू 2,44,34,824.00 की धनराशि को विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ व्यय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जिसमें श्री विनय आर्य जी एवं श्री कीर्ति शर्मा जी ने सुझाव दिया कि इस प्रकार के धन को सुरक्षित रखा जाये तथा इसकी एक एफ.डी. बना ली जाये ताकि भविष्य में इस धन से विश्वविद्यालय के कार्य जैसे भवन निर्माण, वाहन खरीद इत्यादि में इस राशि का प्रयोग किया जा सके। **इस प्रकार के धन को स्थिर निधि बनाने के लिये भी जोर दिया गया तथा तय किया गया कि प्रस्ताव संख्या–03 के अन्तर्गत गठित की गई समिति इस सम्बन्ध में निर्णय करे।** प्रस्ताव उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–12 : विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2018–2019 की बैलेंस सीट के अनुसार स्व–वित्त पोषित एवं अनुरक्षण वर्ग में निरस्त किये गये चैको, जिनका भुगतान अभी तक नही हुआ है। अतः इन चैकों की राशि को विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों में व्यय किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2018–2019 की बैलेंस सीट के अनुसार निरस्त किये गये चैकों की कुल राशि रू 28,27,858.00 की राशि अभी तक बैंलेंस सीट में लम्बित है। अतः प्रस्तावानुसार इस राशि को विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ व्यय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि प्रस्ताव संख्या–11 के अनुसार ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या–13 : विश्वविद्यालय के नव–नियुक्त शिक्षकों को नैक टीम के निर्देशानुसार सीड मनी एवं स्टार्ट–अप मनी दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय में गत वर्षो में आई नैक टीम के सन्दर्भ में नव–नियुक्त शिक्षकों को सीड मनी एवं स्टार्ट–अप मनी के रूप में प्रतिवर्ष एक मुश्त राशि अनुसंधान कार्यो में गति लाने हेतु दिये जाने का प्रावधान है, जिसके NAAC में कुछ अंक दिये जाते है। अतः प्रस्तावित है कि सीड मनी एवं स्टार्ट–अप मनी के रूप में पांच–पांच लाख रूपये दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि पांच–पांच लाख के स्थान पर यह राशि बढाकर छः–छः लाख कर दी जाये ताकि अनुसंधान कार्यो में प्रगति हो सके। प्रस्ताव वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–14 : विश्वविद्यालय में एच.डी.एफ.सी बैंक द्वारा प्रस्तावित ई–लॉबी को बनाये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में एच.डी.एफ.सी. बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि वह विश्वविद्यालय के अन्दर ई–लॉबी बनाये जाने का इच्छुक है। बैंक ने यह प्रस्ताव दिया है कि इस सन्दर्भ में उसे उचित स्थान उपलब्ध करा दिया जाये ताकि बैंक ई–लाबी तैयार कर सके। इस लाबी के बन जाने से विश्वविद्यालय को प्रतिमाह किराया बैंक द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जिसमें मान्य कुलपति जी ने सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में बैंक के मैनेजर के साथ प्रस्ताव संख्या–03 के अनुसार गठित समिति की विस्तृत मीटिंग की जाये तथा स्थान का चुनाव होने पर ही विस्तुत रिपोर्ट तैयार कर वित्त समिति की बैठक में यह विषय रखा जाये ताकि विस्तार से अध्ययन करने पर ही इसमें सहमति दी जा सके।

प्रस्ताव सख्या–15 : विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को एच.डी. एफ.सी. बैंक के माध्यम से वेतन वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के विभिन्न स्व–वित्त पोषित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा वेतन वितरित किया जाता है। एच.डी.एफ.सी. बैंक स्व–वित्त पोषित विभागों में अध्ययनरत छात्रों की फीस से सम्बन्धित धन प्राप्त करता है, अतः बैंक ने यह भी प्रस्तावित किया है कि फीस से प्राप्त होने वाले धन को कर्मचारियों के वेतन मद में वितरित किये जाने का कार्य भी एच.डी.एफ.सी. बैंक को दे दिया जाये। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य जी एवं कीर्ति शर्मा जी द्वारा कहा गया कि एच.डी.एफ.सी. बैंक के अलावा अन्य बैंकों को भी बुलाकर गठित समिति के सामने प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिये ताकि विश्वविद्यालय और कर्मचारियों के हित में वृद्धि हो सके।

प्रस्ताव संख्या–16 : अन्य प्रस्ताव – सभापति महोदय की आज्ञा से।

प्रस्ताव संख्या–01 : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में व्यवसाय करने के लिये आयकर विभाग की धारा 10(23) (c)(VI) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के उपरान्त व्यवसाय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें तय किया गया कि यह प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाना

चाहिये। अतः निर्णय लिया गया कि गठित की गई समिति इसका अवलोकन कर पूर्ण विवरण बनाये तथा विस्तार से सभी पहलुओं पर विचार कर वित्त समिति में इसे पुनः प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–02 : स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी/आंतरिक अंकेक्षण का एक पद सर्जित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ इस प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य जी ने कहा कि यह प्रस्ताव तो प्रबन्ध मण्डल में जाना चाहिये जिस पर मान्य कुलपति जी ने कहा कि चूंकि पद सृजित किया जाना है, जिसमें वित्त शामिल है। अतः वित्त समिति के निर्णय के उपरान्त यह प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य जी एवं श्री कीर्ति शर्मा जी द्वारा कहा गया कि इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें दो पद शामिल हैं। जिस पर वित्ताधिकारी–सचिव वित्त समिति द्वारा अवगत कराया गया कि आन्तरिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ (Internal Audit Cell) में अनुभाग अधिकारी का एक पद सृजित किया जाना है। अतः वित्त समिति के सदस्यों द्वारा कहा गया कि इस पद का सम्पूर्ण विवरण जिसमें योग्यता, अनुभव तथा कार्य का उल्लेख हो को करने के लिये एक समिति का गठन किया जाना चाहिये जिस पर मान्य कुलपति महोदय द्वारा कहा गया कि प्रस्ताव संख्या–03 के अनुसार गठित समिति ही इस कार्य को करेगी।

शान्तिपाठ के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

9/22

(प्रो0 वी0के0 सिंह)
वित्ताधिकारी एवं
सचिव, वित्त समिति